

कार्यालय, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, गाजियाबाद जोन, 109, रिछपालपुरी गाजियाबाद।

संख्या-**635** वि०सु०नि०/गा०बाद जोन/निरीक्षण /जनरेटर/2014-15

दिनांक- **11/7/14**

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक

जी०के० फैशनस्स प्रा०लि०,

प्लॉट नं० 204-205, ई०पी०आई०पी०

93 कासना,

जिला-गौतमबुद्धनगर।

विषय - आपके परिसर में अधिष्ठापित (45+125) के०वी०ए० जनरेटिंग सेट के विद्युतीय अधिष्ठान का प्रारम्भिक निरीक्षण।

प्रसंग- ट्रेजरी चालान सं०- **S040095** रू० 7500/-दिनांक- 03.07.2014

प्रिय महोदय,

प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपके परिसर में अधिष्ठापित (45+125) के०वी०ए० डी०जी० सेट जिसका विवरण निम्न प्रकार है, के विद्युतीय अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-10.07.2014 को किया गया। निरीक्षण के समय विद्युतीय अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत संतोषजनक पाया गया :-

जनरेटर का विवरण	जनरेटर नं० 1	जनरेटर नं० 2
मेक-	स्टैम्फोर्ड	स्टैम्फोर्ड
क्षमता	45 के०वी०ए०	125 के०वी०ए०
सीरियल नं०-	G131379242	N13K483439
वोल्टेज-	415 वोल्ट	415 वोल्ट
करंट-	63 ऐम्पियर	174 ऐम्पियर

अतः भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के नियम-47 'ए' के अन्तर्गत उक्त जनरेटर को प्रयोग में लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(इंजी० आर०एस० राठौर)

सहायक निदेशक

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन

गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद

पृ० वि०सु०नि०/गा०बाद जोन/निरीक्षण /जनरेटर/2014-15

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. निदेशक, विद्युत, सुरक्षा उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन गाजियाबाद, रीजन, गाजियाबाद

(इंजी० आर०एस० राठौर)

सहायक निदेशक

विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन
गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद